33/बी

भारतीय

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट डीड

मै अजीत सिंह सुत श्री दीनानाथ सिंह श्रीमती प्रीती सिंह पत्नी श्री अजीत सिंह निवासी ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ़, श्यामराज सिंह पुत्र श्री श्रीराम सिंह, निवासी ग्राम–हथिगवां, पोस्ट–हथिगवां, तहसील–कुण्डा, जिला–प्रतापगढ़, उत्तम सिंह पुत्र अजीत सिंह, वन्दना सिह पत्नी उत्तम सिंह, अनुराग सिंह पुत्र अजीत सिंह, आदित्य प्रताप सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ़, के निवासी हैं। जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासी कहा गया है। व्यवस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है। जिसके लिए व्यवस्थापक ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/–रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है। तथा व्यवस्थापक शिक्षा व समाज के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन 11000/–रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी हैं और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को दी गयी शक्तियों एंव प्राविधानों के अर्न्तगत बतौर न्यासीगण रखेंगें। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है उक्त व्यवस्थापक ने ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहा है। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करता है और घोषणा करता है कि –

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम ''ए0 पी0 सिंह शिक्षण ट्रस्ट'' महराजपुर, हथिगवां, कुण्डा, प्रतापगढ़'' होगा।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम–कबरियागंज, पोस्ट–कुण्डा, तहसील–कुण्डा, जिला–प्रतापगढ़ में होगा परन्तु ट्रस्ट का कार्यालय कही पर सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. यह कि ट्रस्ट उक्त राशि अंकन 11000/–रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण, अथवा अनुदान, से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हों को धारण करेंगे

अजीत सिंह

प्रीती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 20...

तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कार्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संर्वधन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं, व कार्यशालाओं की स्थापना एंव संचालन व व्यवस्था, यात्री सेवा व सुविधा कार्य हेतु धारण करेंगें तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त किसम भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या उनके समस्त और जितनी मात्रा में चाहें सर्वागींण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

ट्रस्ट के उद्देश्य एंव कार्य–

1. लडके व लडकियों एवं सहशिक्षा के लिए विद्यालय कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
2. इजीनियरिंग कालेज, ब्यवसायिक कालेज, की स्थापना एवं संचालन करना।
3. कम्प्यूटर कोंचिग सेन्टर की की स्थापना करना व संचालन करना।
4. बेरोजगार, जरूरतमंद व बेसहारा ब्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।
5. मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, नर्सिग कालेज, फारमेसी कालेज, एंव अस्पताल की स्थापना करना एंव संचालन करना।
6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण संस्थाओं,ब्यक्तियों संस्थओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. स्कूल कालेज, तकनीकी कालेज, संस्कृत कालेज, महाविद्यालय, फर्माशिक्षण, विधि व नर्सिग शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना सभी प्रकार के एजूकेशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध, चिकित्सीय शिक्षण, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आर्युवेदिक, यूनानी व ब्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों संस्थाओं की स्थापन्न संचालन करना।
8. नर्सरी स्कूल प्राइमरी स्कूल राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) मदरसा व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
9. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
10. शैक्षिक किताबों पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र मासिक आदि) का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एंव संचालन करना।
11. सभी प्रकार का फिल्म, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण करना।

अध्यक्ष सतीश सिंह

प्रीती सिंह

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12. धर्मशाला, आश्रय केश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक आश्रम, एवं योग केन्द्र तथा सभी प्रकार के लिए धार्मिक संस्कार हेतु स्थल बनवाना व उनका संचालन करना।
13. टनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अल्पसंख्यक वर्ग विकलांगों, विधवाओं तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरत मंद व्यक्ति, छात्र, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त कर सहायता करना तथा उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
14. सरकारी सहायता प्राप्त करना, सरकारी नोडल संस्था का विजनेश प्रमोटर एंव मास्टर फेन्चाइजी बनाकर उसे बढाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा कम्प्यूटर खरीदकर देना तथा सर्विस प्रदान करना।
15. समय-समय पर विभिन्न समस्याओं पर जन मानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र तैयार कर उस पर सर्वे कराना।
16. विभिन्न सामाजिक कार्यों हेतु गैर सरकारी संगठन (एन.जी0ओ0) की स्थापना एवं संचालन करना।
17. गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना जल बचाव संबन्धी कार्य करना तथा आम जनता को जल ही जीवन है संबन्धी जानकारियां देना।
18. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथ अन्य निर्माण कार्य कराना तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करना।
19. अस्पताल औषधालय पशु अस्पताल अनुसंधान शालाओं एंव रसायन शालाओं का स्थापना एंव संचालन करना।
20. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए वृक्षारोपण करना एवं सामाजिक वानिकी को बढावा देना।
21. स्कूल व कालेज के छात्र छात्राओं एवं समाज को एड्स रोग अन्य महामारी रोगों से बचाने के लिए जागृत करने के लिए कार्यक्रम चलाना।
22. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद खरीदना, दान प्राप्त करना उन्हें क्रय विक्रय करना हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कार्य करना।
23. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना भूमि पट्टे पर लेना व देना अनुबन्ध करना, ट्रस्ट द्वारा क्रय शुदा भूमि पर निर्माण करना।

संस्थापक अजीत सिंह

प्रीती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24. ट्रस्ट की आय बढाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ट्रस्ट के लिए दान लेना व दान की रसीद देना तथा आयकर की निर्दिष्ट धाराओं के अन्तर्गत कार्य करना।
25. वह सभी सामाजिक कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।
26. यह कि इस ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशाप आयोजित करना।
27. कृषि उन्नति एवं विकास हेतु अनुसंधान करना एवं वह सभी कार्य करना जिससे उत्पादन बढ़े एवं समाज में कृषि शिक्षा व प्रचार प्रसार करना।

<u>कार्यक्षेत्र–</u>

यह कि न्यासी/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष व भारतवर्ष के बाहर होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्तव्य एवं नियुक्ति–

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उनके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुयी आय को कालान्तर में कभी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय पर जैसे की ट्रस्टीगण उचित समझें उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर ब्यय कर सकते हैं।
3. यह कि ब्यवस्थापकों/ ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्ति कर लिया है ब्यवस्थापक ट्रस्टी को ट्रस्ट सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। ब्यवस्थापक ट्रस्टियों का कार्यकाल जीवनपरयन्त होगा।
4. यह कि श्री अजीत सिंह सुत श्री दीनानाथ सिंह उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष होंगे एवं श्रीमती प्रीती सिंह पत्नी श्री अजीत सिंह उपरोक्त संस्था की प्रथम सचिव होंगी।
5. यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त ट्रस्टी का कार्यकाल जीवनपरयन्त होगा तथा वे ब्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेगें।

उपरोक्त पदाधिकारी एंव ब्यवस्थापक अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देता अथवा मृत्यु की दशा में उनके रिक्त पद पर नया पदाधिकारी ब्यवस्थापक ट्रस्टी को रखने का अधिकार होगा यदि उक्त ब्यवस्थापक ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी अपने

अध्यक्ष अजीत सिंह

प्रीती सिंह

भारतीय ... रुपये Rs. 100

एक सौ रुपये

स्टाम्प कोर्ट ... रू. 100 16 NOV ... कुण्डा–प्रतापगढ़

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पद से त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार एंव सम्बन्ध ट्रस्ट से समाप्त हो जायेंगें।

6. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तब्य व दायित्व होगें।

अध्यक्ष– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की नैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्यवाही वैध होगें जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना।

सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर मे लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व ब्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव–सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष– ट्रस्ट की समस्त आय–ब्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। ट्रस्ट को समस्त ब्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा या केवल अध्यक्ष द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

7. यह कि ट्रस्ट के समस्त महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्वता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना....

अध्यक्ष ... अजीत सिंह

प्रीती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 205734

आदेश प्रदान करेंगें। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

8. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व परमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एंव संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं यां उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी।

9. यह कि अध्यक्ष एंव सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल हैं को नियुक्ति करने तथ उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु कि सी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधरणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

11. यह कि अध्यक्ष एंव सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एंव सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्ट के लाभ के लिये अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय-विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. यह कि अध्यक्ष एंव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगें तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने का, व धारण करने का चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो लीज पर हो व किराये पर हो या क्रय करने व किसी और तरीके से प्राप्त करने विक्रय करने क्रय करने किराये पर देने, हस्तानान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार

अध्यक्ष

सचिव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 2[illegible]

होगा परन्तु ट्रस्टीगण की ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से विरक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

13. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी बिना कोरम पूरा किये हुए नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

14. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संन्तान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

15. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें परन्तु अन्य व्यक्ति या बैंकर, दलाल, एजेन्ट, अथवा अन्य ब्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा ब्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगें।

16. यह कि अध्यक्ष एंव सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता सावधि खाता, जमा

खाता, बचत खाता, ओवर ड्राफ्ट व सभी प्रकार के बैंकिग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिग एकाउन्टस खातों व अन्य सभी बैंकिग खातों का संचालन अध्यक्ष एंव सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा या केवल सचिव द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

17. यह कि व्यवस्थापक ट्रस्टी को अन्य अस्थाई ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एंव उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे कमशः

प्रीती सिंह

अध्यक्ष अजीत सिंह

प्रीती सिंह

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 206796

उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

18. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त वैधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. यह कि अध्यक्ष ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।
20. यह कि न्यासीगण/ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेगें। अध्यक्ष एंव सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर, या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/

ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद् द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान की कार्य करने का अधिकार एंव दायित्व होगा।

21. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विकय करना, कय करना, किसी विकय अथवा पुनः विकय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमे हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होगें।
22. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने मे असमर्थ होंगें तो ट्रस्ट के सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

अध्यक्ष

प्रीती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रू. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 206797

//9//

23. यह डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

गठित ट्रस्ट का स्वरूप–

नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	हस्ताक्षर
1. श्री अजीत सिंह	श्री दीनानाथ सिंह	ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ	अध्यक्ष	अजीत सिंह
2. श्रीमती प्रीती सिंह	श्री अजीत सिंह	ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ	सचिव	प्रीती सिंह
3. श्री श्याम राज सिंह	श्री श्रीराम सिंह	हथिगवां, पोस्ट–हथिगवां, थाना–हथिगवां, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ	उपाध्यक्ष	श्यामराज सिंह
4. श्री उत्तम सिंह	श्री अजीत सिंह	ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ	उपसचिव	UTTAM S.
5. श्री आदर्श प्रताप सिंह	श्री उत्तम सिंह	ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ	कोषाध्यक्ष	Adarsh Pratap Singh

प्रीती सिंह

अध्यक्ष
अजीत सिंह

प्रीती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

प्रीती सिंह

//10//

6. वन्दना सिंह	श्री उत्तम सिंह	ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ़	न्यासी	वन्दना सिंह
7. अनुराग सिंह	श्री अजीत सिंह	ग्राम–भोजपुर, पोस्ट–रामगंज, तहसील–लालगंज, जिला–प्रतापगढ़	न्यासी	अनुराग सिंह

गवाह–1 राजेश कुमार सुत स्व० बाबूलाल मो० 579696135440
नि० हथिगवां (प्रेममहिपाल) कुण्डा प्रतापगढ़

–2 संजय सिंह पुत्र श्री रामसिंह ग्राम हथिगवां
कुण्डा प्रतापगढ़ 125222160409

बैज लेखक–रूपेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री आत्माराम पाण्डेय निवासी [illegible] पूरे मल्ला, प्रतापगढ़।

लाईसेन्स नं0–5/2016

24-8-2017
[illegible] रू.प. पाण्डेय
5/16
कुण्डा प्रतापगढ़
[illegible] रूपेन्द्र कुमार

अध्यक्ष

अजीत सिंह

प्रीती सिंह